

MA

प्रेषक

पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।

सेवा में

उपायुक्त, रेवाड़ी।


कमाक 5792

दिनांक 30/4/2020

विषय


शराब के ठेके सील करने बारे।

पादी


30/4/20

हरियाणा प्रान्त में लोक डाउन के चलते शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगाई हुई है। फिर भी गुप्त सूचना के अधार परपता लगा है कि शराब के ठेको में रखी शराब की तस्करी धडले से हो रही है। पूरे जिले में शराब की तस्करी पुलिस द्वारा पकडी जा रही है। जिसके कारण लोकडाउन में बाधा हो सकती है व कानून व्यवस्था बिगड सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को निर्देश देवे कि रेवाड़ी जिले में शराब के समस्त ठेको को पूर्ण रूप से सील किया जाये ताकि शराब की तस्करी रोकी जा सके।


पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE/
DEPUTY COMMISSIONER, REWARI**

Endst. : 8721 /MA

Date : 30-04-2020

A copy is forwarded to D.E.T.C (Excise), Rewari for information and immediate necessary action please.

Sanjiv
30/04/2020
For Deputy Commissioner,
Rewari. *(Signature)*